



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

SEIAA/2022

No: 11601

Date: 15/7/22

प्रति,

1. संचालक,
भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश,
29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स,
भोपाल (म.प्र.)।
2. कलेक्टर,
जिला - ग्वालियर (म.प्र.)

विषय: प्रकरण क्र. 8670/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स महादेव स्टोन क्रेशर इन्डस्ट्रियल, पार्टनर, श्री अभय सिंह, निवासी 201, तानसेन, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 23726 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.332 हेक्टेयर, खसरा 05, ग्राम चिरपुरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 584वीं बैठक दिनांक 05.07.2022 के निर्णय उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 737वीं बैठक दिनांक 13.07.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया..

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित Online प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज Online ही प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। SEAC द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी Offline प्राप्त की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेजों को माननीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा।

अतः प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि SEAC द्वारा निम्नानुसार प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से चाही गई जानकारी ADS के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर Online ही प्राप्त की जाये एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक व अधिकृत पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन/ऑफलाईन) का नाम अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व पदनाम कार्यवाही विवरण में अनिवार्यतः अंकित किया जाये। अतः प्रकरणों को SEAC को पुनः अग्रेषित किया जाता है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का परिपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। चूंकि उपरोक्त प्रकरणों से संबंधित जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा पश्चात् प्रकरणों को SEIAA को प्रेषित किया जाये।

उपरोक्त संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर को सूचित किया जाये कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना 15 जनवरी 2016 व 25 जुलाई 2018 एवं Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guideline for Sand 2020 के परिप्रेक्ष्य में एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओ.ए. 456/2018, 726/2018 में दिनांक 04.11.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के परिपालन में जिला स्तर पर गठित उपसंभागीय समिति की अनुशंसा एवं जिला पोर्टल पर 21 दिवस की कार्यवाही पूर्ण कर SEAC समिति के परीक्षण एवं SEIAA कार्यालय को अनुमोदन हेतु 01 माह में प्रेषित की जाये। तदनुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं संबंधित परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर पुनः अग्रेषित किया जाता है।

(विकास मिश्रा)

सदस्य सचिव

क्र. 1161

/SEIAA/2022 भोपाल

दिनांक 15/7/22

प्रतिलिपि :-

मेसर्स महादेव स्टोन क्रेशर इन्डस्ट्रियल, पार्टनर, श्री अभय सिंह, निवासी 201, तानसेन, जिला ग्वालियर (म.प्र.) को सूचनार्थ।

सदस्य सचिव